



2026:AHC:49811

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 2442 वर्ष 2026

संजय पालीवाल

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राम मिलन मिश्र

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., कौशलेश प्रताप सिंह

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. अवकाश से पूर्व, जब इस मामले पर विचार किया गया था, तो श्री के.पी. सिंह जो फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से उपस्थित हुए थेने बार में यह बयान दिया था कि यह मामला शिक्षा से संबंधित है। अतः, हो सकता है कि इस न्यायालय के पास इस मामले का क्षेत्राधिकार न हो।

2. प्रकरण को अवकाशोपरांत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया और कार्यालय रिपोर्ट मांगी गई।

3. अवकाशोपरांत, जब प्रकरण लिया गया, कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार यह प्रकरण इस पीठ के समक्ष सुनवाई योग्य है।

4. रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राम मिलन मिश्रा, राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव तथा प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री के.पी. सिंह को सुना गया।

5. रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे 24.02.1996 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दी गई और उसने 01.03.1996 को सेवाओं में प्रवेश किया। उसे वर्ष 2001 में वरिष्ठ सहायक

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के पद पर पदोन्नत किया गया और 19.02.2006 को प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई। वह 1.05.2024 को सेवानिवृत्त हुआ। रिट याचिकाकर्ता अवकाश नकदकरण (लीव एनकैशमेंट) का दावा कर रहा है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता का दावा प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या-4, बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा निपटाया जाना चाहिए।

7. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका इस प्रकार निस्तारित की जाती है कि रिट याचिकाकर्ता को यह निर्देश दिया जाता है कि वह एक समग्र प्रत्यावेदन, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या-4 के समक्ष प्रस्तुत करे, उक्त प्राधिकारी इस प्रस्ताव पर, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र एवं सुविचारित निर्णय लेते हुए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह के भीतर निर्णय करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

11 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।